खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0008/2018

1. Gyan Chand Jain S/o Shri Manohar Lal, Firm M/s Marwar Agro Foods, 8B Krishi Mandi, Saheed Rajaram Bolck, Mandor Road, Jodhpur R/o Plot No. 5A, Shakti Nagar, Road No. 1, Pavta C Road, Jodhpur.
2. Bhagirath Ram Choudhary S/o Shri Dhanna Ram, Firm M.s Bhagirath Dairy, Deedwana Road, Aasanpura, Kuchaman City, District Nagaur- R/o Village Sarnoth Padampura, Nagaur, Rajasthan.

...Appellants

Versus

1. State of Rajasthan, through Food Safety Commissioner, Rajasthan, Jaipur.
2. Food Safety Officer, Office of Chief Medical & Health Officer, Jodhpur.

...Respondents

उपस्थितः–

1. श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अभिजीत शर्मा अधिवक्ता वास्ते श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 08.08.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 14.12.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 34/2017 सरकार बनाम ज्ञानचन्द वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अन्तर्गत क्रमशः 20,000 रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) तथा 25,000 रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि दिनांक 12.01.2017 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपीलार्थी के यहां से खाद्य पदार्थ घी विनायक ब्राण्ड का सैम्पल जांच हेतु खरीद किया जो बाद जांच सबस्टेण्डर्ड पाया गया। बाद आवश्यक स्वीकृति अपीलान्ट को अभियोजित किया गया तथा आलौच्य आदेश पारित किया गया।

3. बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलान्ट का तर्क रहा कि विश्लेषण रिपोर्ट ये स्पष्ट है कि Reichert value न्यून्तम 26 के स्थान पर 25.30 है, विश्लेषण मशीन से नहीं किया जाकर हाथ से किया गया है। अतः मानवीय त्रुटि की

संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता और अपील मुख्यतः शास्ति के विरूद्व है, अधिरोपित की गई शास्ति अत्यधिक है।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए आरोपित की गई शास्ति को कम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 34/2017 सरकार बनाम ज्ञान चन्द आदि में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अन्तर्गत अपीलान्ट सं.01 पर 20,000 रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र) तथा अपीलान्ट सं.02 पर 25,000रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की गई, उसके स्थान पर क्रमशः 5,000रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) एवं 6,000रूपये (अक्षरे छह हजार रूपये) कुल 11,000रूपये (अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अपीलार्थी अधिरोपित शास्ति जमा कराकर रसीद पेश करे। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर